



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21032022-234318
CG-DL-E-21032022-234318

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1165]
No. 1165]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 21, 2022/फाल्गुन 30, 1943
NEW DELHI, MONDAY, MARCH 21, 2022/PHALGUNA 30, 1943

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड)

(राजस्व आसूचना निदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 मार्च, 2022

सं. 3/2022-सीमा शुल्क (गै.टै./सीएए/राआनि)

का.आ. 1205(अ).—भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग द्वारा सीमा शुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा 152 के अनुच्छेद (ए) के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं. 60/2015-सीमा शुल्क (गै.टै.), संख्या सा.वै.नि. 453(ई), दिनांक 04 जून 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित एवं यथा अधिसूचना सं. 133/2015-सीमा शुल्क (गै.टै.), संख्या सा.वै.नि. 916(ई), दिनांक 30 नवम्बर 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित के द्वारा संशोधित, के अनुसरण में प्रधान महानिदेशक राजस्व आसूचना एतद्वारा अधिसूचना सं. 18/2020-सीमा शुल्क (गै.टै./सीएए/राआनि) दिनांक 03.03.2020, का.आ. 982 (अ) दिनांक 05.03.2020 द्वारा प्रकाशित, में निम्नलिखित संशोधन करते हैं:-

उपरोक्त अधिसूचना सं. 18/2020-सीमा शुल्क (गै.टै./सीएए/राआनि) दिनांक 03.03.2020 में विद्यमान तालिका को निम्नलिखित तालिका से प्रतिस्थापित कर दिया जाए।

क्र. सं.	कारण बताओ नोटिस सं. और दिनांक	कारण बताओ नोटिस निम्न को जारी किया गया	कारण बताओ नोटिस निम्न के द्वारा जारी किया गया	माननीय सीमा शुल्क उत्पाद एवं सेवा कर अपीलीय ट्रिब्यूनल का आदेश सं और दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	फ़ा. सं. DRI/BZU/F/02/2003/Pt1/8617 to 8625 दिनांक 10.11.2003	मै साहिल इंडस्ट्रीज़, मुंबई और अन्य	अपर महानिदेशक, राजस्व आसूचना निदेशालय, मुंबई	A/3731-3733/15/CB दिनांक 24.11.2015
2.	फ़ा. सं. DRI/BZU/E/11/96 (S/10-43/98.VII) दिनांक 06.04.1998	मै एस आतम सिंह कोहली और अन्य.	पूर्व आयुक्त सीमा शुल्क (निर्यात), मुंबई	A/486-487/WZB/06-C-II(CSTB) दिनांक 31.05.2006

[फ़ा. सं. DRI/HQ-CI/50D/CAA-9/2020]

भारती शर्मा, संयुक्त निदेशक

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)

(Directorate of Revenue Intelligence)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th March, 2022

No. 3/2022-Customs (N.T./CAA/DRI)

S.O. 1205(E).—In pursuance of notification No. 60/2015-Customs (N.T.), published vide number G.S.R. 453(E), dated 4th June 2015 in Gazette of India, Extra-ordinary, Part-II, section 3, sub-section (i), and as amended by notification No. 133/2015-Customs (N.T.), published vide number G.S.R. 916(E) dated 30th November 2015 in Gazette of India, Extra-ordinary, Part-II, section 3, sub-section (i), issued by the Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue, under clause (a) of section 152 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Principal Director General, Revenue Intelligence, hereby makes the following amendments in the Notification No. 18/2020-Customs (N.T./CAA/DRI) dated 03.03.2020 published vide S.O. 982(E) dated 05.03.2020.

The existing Table in Notification No. 18/2020-Customs (N.T./CAA/DRI) dated 03.03.2020 shall be substituted with the below mentioned Table:-

Sl. No.	Show Cause Notice Number and Date	Show Cause Notice issued to	Show cause notice issued by	Hon'ble CESTAT's Order No. and Date
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	F. No. DRI/BZU/F/02/2003/Pt1/8617 to 8625 dated 10.11.2003	M/s Sahil Industries, Mumbai and	Additional Director General, Directorate of	A/3731-3733/15/CB dated 24.11.2015

		others.	Revenue Intelligence, Mumbai	
2.	F. No. DRI/BZU/E/11/96 (S/10-43/98.VII) dated 06.04.1998	M/s S. Atam Singh Kohli and others.	Erstwhile Commissioner of Customs (Exports), Mumbai	A/486-487/WZB/06-C- II(CSTB) dated 31.05.2006

[F. No. DRI/HQ-CI/50D/CAA-9/2020]

BHARTI SHARMA, Jt. Director